महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांकः 5416 / कु0का0 / 2025 दिनांक 16/01/2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक
राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
सम्बद्ध महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

विषय—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के अनिवार्य प्रत्यायन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली—110002 के पत्रांक मि.क्र.8—591 / 2024(CCP—1 / C) दिनांक 15 जनवरी, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के अनिवार्य प्रत्यायन हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उसमें दिए गये निर्देश के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय

16.01.25

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली— 110002।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

कुलसचिव

सत्यमेव जयते
UGC Website: www.ugc.ac.in
Ph. 011-23604414 (CPP-I/Colleges)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110 002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

ईमेल

अनुस्मारक

मि.क्र.8-591/2024(CPP-I/C)

दिनांक :– जनवरी, 2025

15 JAN 2025

कुलसचिव
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय
आज़मगढ़, रैदोपुर,
आज़मगढ़- 276 001,
उत्तर प्रदेश।

विषय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के अनिवार्य प्रत्यायन के संबंध में।

महोदय / महोदया,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की 13 जून 2022 को आयोजित 559वीं बैठक में उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्णय के आलोक में अवगत कराना है कि आयोग द्वारा यू॰जी॰सी॰ अधिनियम की धारा 12ख के अन्तर्गत मान्यता के लिए अर्हता हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों को अनिवार्य रूप से NAAC प्रत्यायन की आवश्यकता होगी तथा ऐसे संस्थान जो पहले से ही धारा 12ख के तहत मान्यता प्राप्त हैं उन्हें मान्यता की निरंतरता हेतु अधिकतम पाँच वर्षों का समय प्रदान किया जा सकता है। तद्नुसार धारा 12ख के अंतर्गत पूर्व में मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को विलंबतम जून 2027 तक प्रत्यायन प्राप्त करना आवश्यक होगा। उक्त के आलोक में निवेदन है कि यूजीसी अधिनियम की धारा 12ख के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त समस्त संबद्ध / सहयुक्त महाविद्यालयों को प्रत्यायन संबंधी आवश्यकता के अनुपालन हेतु अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

डॉ॰ निखिल कुमार
(उपसचिव)